

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मध्य इंग्लिशियल्स अंज

19/4/24

पत्रावली पेंडा/पत्रावली अधिकारी अवकाश पर हो
घोरे पर है/वी.ए.ए. में व्यस्त है। अतः पत्रावली
03/6/24 को पेश हो।

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक
एफ-9/14/7/5/भू.अ./2024/5927 दिनांक
18-06-2024 की पालना में पत्रावली सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर को मुंसफिल की जाती है।

3/6/24

पत्रावली पेंडा/पत्रावली अधिकारी अवकाश पर हो
घोरे पर है/वी.ए.ए. में व्यस्त है। अतः पत्रावली
21/8/24 को पेश हो।

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक
एफ-9/14/7/5/भू.अ./2024/5927 दिनांक
18-06-2024 की पालना में पत्रावली सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर को मुंसफिल की जाती है।

21/6/24

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक
एफ-9/14/7/5/भू.अ./2024/5927 दिनांक
18-06-2024 की पालना में पत्रावली सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर को मुंसफिल की जाती है।

यह पत्रावली पेंडा/पत्रावली अधिकारी अवकाश पर हो
घोरे पर है/वी.ए.ए. में व्यस्त है। अतः पत्रावली
21/8/24 को पेश हो।

21/08/24

पत्रावली पेंडा/पत्रावली में उपलब्ध तलबी
report के आचार पर तामिल पूर्ण मानी
जाती है। चूंकि तलबी वर्ष 2021 में पूर्ण
हो चुकी है एवं आज दिनोंक तक कोई उप
नहीं, अतः अग्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही की जाती है। एकपक्षीय बटल सुनी
गई। मुताबिक बटल अर्चि. प्रार्थी- वक्त
settlement विवादित भूमि प्रार्थी के दादा
के नाम खातेदारी दर्ज थी। दादा के देहांत
के पश्चात उनके 06 पुत्रों के नाम 16-16
हि. की खातेदारी दर्ज हुई। चूंकि भूमि
पुस्तेंनी है, अतः प्रार्थी का भी 124 हि. बनना
है, किंतु अग्रार्थी सं-01 द्वारा विवादित भूमि
की registry अपने अन्य 02 पुत्रों के नाम
कर दी गई है। अग्रार्थीगण प्रार्थी का उसके
हिस्से से बेदखल करना चाह रहे हैं, अतः
उन्हें पाबंद किया जावे।"

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2017/01111

Court of सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) at जोधपुर

Kind of the Case अन्वेषण द्वारा 212 R.T.A. 1955

Number of Case A/61/Year 2024

शैराराम Versus भंवरलाल व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>प्रस्तुत दस्तावेजों के आचार पर प्रथम-दृष्टया मामला एवं अपूरणीय सति के बिंदु शर्षी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः ताफेंसला मूलवाद अशर्षी सं. 01 ता 03 को पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि के 1/24 हि. के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनी रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फेंसल- बुमार होकर दारिबल- दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">Prinika सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर</p>	

